खाद्य तेल का अयात

802. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेलों की आवश्यकता को पूरा करने तथा उसके मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों का लगातार आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 में खाद्य तेलों का कितना-कितना आयात किया गया और 1994–95 में कितना खाद्य तेल आयात किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेलों की आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी औसत मात्रा कितनी है और इसमें प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि तिलहनों का देश में ही उत्पादन होने के कारण वे देश में खाद्य तेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा खाद्य तेलों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से देश में तिलहन का कितना उत्पादन किए जाने की जरुरत है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1991–92 से 1994–95 के दौरान (20 फरवरी, 1995 तक आयातित खाद्य तेलों की मात्रा निम्नवत् है :—

वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च)	मात्रा (मी० टन)
1991-92	1,06,847
	†54,574
	1,61,421

वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च)	मात्रा (मी० टन)
1992–93	**47,000
	29,070
	76,070
1993–94	**37,000
	41,965
	70,965
1994-95 (20–2–1995 तक)	1,07,013

†राज्यों द्वारा रु० के प्रति सीधा आयात
**यू०एस०एड के तहत उपहार के रूप में अपरिष्कृत सोयाबीन तेल

(ग) और (घ) योजना आयोग के आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर वर्ष 1994–95 के लिए आकलित खाद्य तेलों की मांग 69.09 लाख मी० टन है। इसमें एक वर्ष में कुल मिलाकर 4% के लगभग वृद्धि का संकेत मिलता है।

(ङ) और (च) इस तथ्य से कि सरकार को खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देनी पड़ी है, यह पता चलता है

कि देश में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर है। इसके लिए कुछ कारण आबादी में वृद्धि होने की वजह में वृद्धि होना तथा लोगों का बढ़ता हुआ जीवन स्तर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्य तिलहनों की 230 लाख मी० टन मात्रा का उत्पादन करना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश में गोदामों और भाण्डागारों की कमी

803. प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त गोदाम और भांडागार उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भंडागारों और गोदामों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है।

दिल्ली में गोदामों की कमी

804. प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदामों की भारी कमी है और गोदामों के दूर-दूर होने के कारण विभाग को परिवहन का ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने नए गोदाम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने साहिबाबाद और लोनी में गोदामों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास दिल्ली में केवल तीन गोदाम हैं। तथापि, खाद्यान्न क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का एक बड़ा भाग होते है। अतः इन्हे दिल्ली की उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम, जिसके दिल्ली मे छः गोदाम है, के गोदामों से जारी किया जाता है। यह कहना सही नही होगा कि दिल्ली में गोदामो की भारी कमी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने गोदामो की अवस्थिति के कारण उच्च ढुलाई लागत की कोई घटना सूचित नही की है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाये गए क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैय करानें के लिए केंद्रीय सरकार की योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की थी।